

कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(61)पीएस / निकाशि / 12 / 265

दिनांक :- 6-8-2012


प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
.....।

विषय :- पूर्व आदेश निरस्त करने बाबत।

संदर्भ :- अस्थाई सेवा को सम्मिलित कर कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के आदेश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन व्याख्याताओं को उनकी अस्थाई सेवा को सम्मिलित कर वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है उनके पूर्व स्वीकृत वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान (नियमित नियुक्ति के आधार पर) के आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावें।



निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।